Hindi update on rectification of GSTR-3B return

अभी हाल ही में Bharati Airtel limited के case में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय पारित किया है जिसमें जुलाई 2017 से सितंबर 2017 का जीएसटीआर 3B रिटर्न को rectify करने की अनुमति प्रदान की है। इस केस में BHARATI AIRTEL LIMITED ने कहा था कि जीएसटी जुलाई 2017 से लगा था। इसमें पहली स्कीम में GSTR-1, GSTR-2 तथा GSTR-3 भरने के लिए कहा गया था। परंतु बाद में पोर्टल के नहीं चलने के कारण सिर्फ GSTR-3B तथा GSTR-1 ही लागू हो पाए। कंपनी का कहना था कि उन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर 2017 तक 923 CRORE के रिटर्न भरे थे। GSTR-2, GSTR-3 और SYSTEM RELATED CHECKS के लागू नहीं होने से उन्हें GSTR-3B रिटर्न MANUALLY भरना पड़ा था जिससे उन्होंने ज्यादा टैक्स भर दिया। कंपनी अब इन रिटर्न को सही करना चाहती थी परंतु जीएसटी विभाग ने कहा कि सर्कुलर इजाजत नहीं देता है अतः आप इन RETURNS को सही नहीं कर सकते हैं। जब यह मामला माननीय उच्चन्यायालय के सामने आया तो हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह में जीएसटीआर 3B रिटर्न को AMEND करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल पर प्रदान करें|

इसआदेश की पालना करते हुए विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर “File Amendment Return” का लिंक दिया है :-

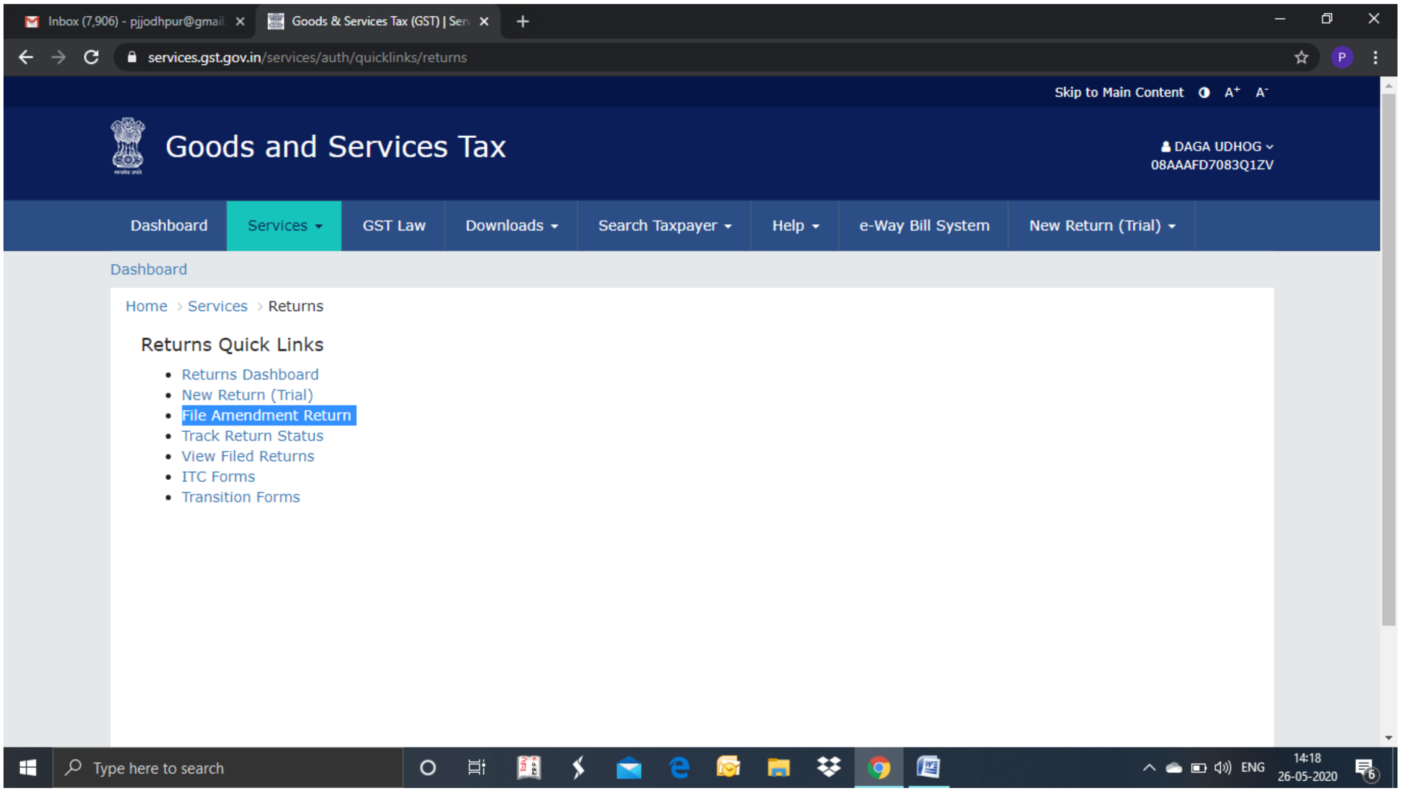

परंतु इस लिंक पर क्लिक करने के बाद किसी भी प्रकार का विंडो ओपन नहीं होता हैअतःजीएसटीआर 3B रिटर्न को यदि कोई Taxpayer AMEND करना चाहता है तोअभी वह नहीं कर पाएंगे।इस लिंक पर क्लिक करने पर यह मैसेजआता है:-

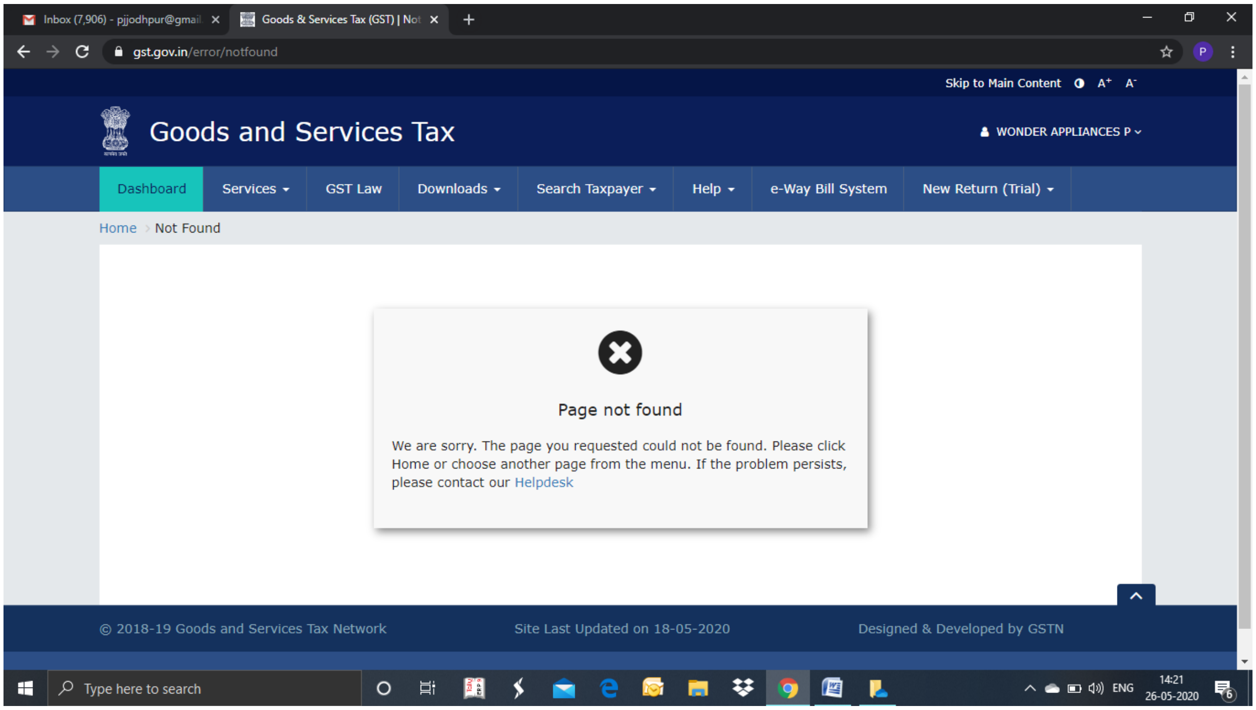

अतः सरकार से अनुरोध है की इस सुविधा को अतिशीघ्र प्रारंभ करें ताकि TAXPAYER जीएसटीआर 3B रिटर्न गलत दर्शाया गया विवरण को अतिशीघ्र सुधार सकें ताकि रिटर्न में किसी प्रकार का MISMATCH नही रहे|

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.